बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 336685 पटना, दिनांक 13/11/17

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(जिला पृच्छा)-102-58/2017

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
समस्तीपुर ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभुक का नाम आवास सॉफ्ट से Delete किये जाने के पश्चात पुन: नाम जोड़ने के संबंध में ।**

प्रसंग :- आपका पत्रांक-2061 दिनांक-05.10.17

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्रीमती रीभा देवी, पति-श्री अजीत सिंह, पंचायत-जहाँगीरपुर, प्रखण्ड-सिधिंया का नाम आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध SECC 2011 की सूची में रहने के बावजूद उसको पक्का मकान दिखाकर SECC सूची से Delete किये जाने के पश्चात बाद में जाँच के क्रम में कच्चा मकान पाये जाने पर पुन: आवास सॉफ्ट पर जोड़ने के संबंध में विभागीय मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है । इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि SECC 2011 की सूची से लाभार्थी का नाम आवास सॉफ्ट से Delete किये जाने के पश्चात इसे पुन: restore किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास सॉफ्ट से डाउनलोड की गई सूची को जाँच करने हेतु ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए विभागीय पत्रांक-276296 दिनांक-24.06.16 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं । आप अवगत है कि प्राथमिकता निर्धारण के पश्चात लाभुकों को अपीलिय समिति से अग्रसारित किये जाने का प्रावधान District Login में दिया गया था जिसे प्राथमिकता निर्धारण के क्रम में अयोग्य करार दिये गए लाभुकों को शिकायत / जानकारी प्राप्त होने के पश्चात सत्यापन कराकर योग्य लाभुकों के श्रेणी में लाये जाने का विकल्प उपलब्ध था। लाभुक की पात्रता के बावजूद भी कर्मचारियों/पदाधिकारी की लापरवाही से योजना का लाभ नहीं मिल पाना एक गंभीर प्रशासनिक चूक है । इसके लिए मामले की जाँच कर दोषी कर्मी/पदाधिकारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय । साथ ही भविष्य में ऐसी घटना के प्रति सचेत रहने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने स्तर से आदेश जारी किया जाय ।

विश्वासभाजन

13.11.17

(राहुल रंजन महिवाल)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 336685 पटना, दिनांक 13/11/17

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.11.17

सरकार के अपर सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY Complain 550.doc